न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी: बृजेश कुमार मंगल आर॰ए॰एस॰

मुकदमा नम्बर: 10/21

उनवान: शिवचरन पुत्र देविया जाति कुशवाह निवासी ग्राम लालपुर तहसील राजाखेड़ा हाल आबाद लालपुरियन का पुरा तहसील धौलपुर। ---- वादी

बनाम

1- नेकराम पुत्र देविया जाति कुशवाह निवासी लालपुर तहसील राजाखेड़ा हाल आबाद लालपुरियन का पुरा तहसील धौलपुर

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा

---- प्रतिवादीगण

दावा अधीन धारा 88, 188 एवं 53 आर॰टी॰ए॰

उपस्थिति:- श्री विमल कुमार शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक:-

वादी द्वारा यह वाद इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आर॰टी॰एक्ट के तहत इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी ख॰नं॰ 105 रकबा 0.3920 हैक्टेयर स्थित ग्राम टीकरपुरा तहसील राजाखेड़ा के खातेदार कृषक वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 के बड़े भाई काशी खातेदार, काश्तकार एवं काबिज थे। जिनका देहान्त कुछ वर्षों पूर्व हो गया है। काशी के सगे भाई के रूप वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 1 के अतिरिक्त एक भाई नत्थी भी था जो कि बिना औलाद बिना पत्नी के काशी से पूर्व ही फौत हो गया था। काशी भी बिना औलाद एवं बिना पत्नी के फौत हुआ है। एवं काशी का तमाम तर्का नजदीकी वारिस होने के नाते वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 1 ने ही प्राप्त किया है तथा वादग्रस्त आराजी पर कानून के अनुसार आधे-आधे पर वारिस है एवं समान रूप से काबिज काश्त होकर उसमें आप समान रूप से भागीदार रहे हैं। दावा दायरी से 15 दिवस पूर्व वादी एवं प्रतिवादी के बीच घरेलू विवाद उत्पन्न हो गया। इस घरेलू विवाद के दौरान ही प्रतिवादी के कुछ पारिवारिक जनों ने आक्रोश में आकर कह दिया एवं धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी पर केवल प्रतिवादी सं॰ 1 का

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः--2

अवज्ञा रहेगा क्योंकि कासी की सेवा सुश्रुषा प्रतिवादी के सम्पूर्ण परिवार ने ही की थी इसलिए वह वादी को इस आराजी में कोई लाभ अर्जित नहीं करने देगा। केवल अपने नाम राजस्व रिकार्ड में आराजी को अंकित करावेगा। इससे वादी व्यथित होकर एवं अपने हकूकों की रक्षा के लिए तथा राजस्व रिकार्ड में स्वयं 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं अंकित कराने के लिए न्यायालय में यह दावा पेश किया। जिसके अन्त में दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसने अपना जवाब दावा बतौर इकबाल दावा पेश करके पेश किया कि यदि वादी विभाजन का अनुतोष चाहता है तो उसे दावा डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वादी की ओर से इस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। सरकार की ओर से भी प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

साक्ष्य वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-75 दस्तावेज, एवं शिजरा हैसियत पेश किया है। मौखिक साक्ष्य में बयान स्वयं वादी PW-1 एवं बयान गवाह मुकन्दी सिंह PW-2 कराये गये अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी एकपक्षीय सुनी गयी उनके द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के समर्थन करने को दोहराया तथा कथन किया कि खातेदार कासी के पत्नी एवं बच्चे नहीं थे इसलिए कानूनन नजदीकी वारिसान उसके दोनों सगे भाई वादी एवं प्रतिवादी सं-1 ही है तथा वे दोनों ही उसकी समस्त तर्का प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से दावा पूरी तरह साबित होता है इसलिए दावा डिक्री किया जावे। दावा में किये बटवारे एवं व्यापी निषेधाज्ञा के अनुतोष से भी उन्होंने अपनी बहस में इन्कार किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक वादी पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी में विवादित आराजी पर कासी पुत्र हैसियत जाट कौम साकिन [illegible] के खातेदारी के स्थान दर्ज रिकार्ड है

क्रमशः -

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

...दी द्वारा प्रस्तुत खसरा किजरा के अनुसार देविया के चार
काशीप्रसाद शिवचरन एव नेकराम है। जिनमे नन्दी
...ारी लावल्द हो चुके है। इस प्रकार वर्तमान मे नन्दीकी
...स होने के नाते वादी शिवचरन एव प्रतिवादी नेकराम ही
...ादित आराजि के विधिक रूप से काशी के 3 वारिस जारी है
... विवादित आराजि मे अपने आप को 1/2 व 1/2 भाग का खातेदार
...प्रकार खातेदार नेकराम के अधिकारी पाये जाते है। इस तरह
...की पुष्टि वादी के शपथ पूर्वक बयान एवं स्वतन्त्र गवाह मुकदमें
...के शपथ पूर्वक बयानो से भली भाँति होती है। जिन्होंने अपने
बयानो मे काशी का नेकराम एव शिवचरन कोई कानूनी वारिस
बताया है। इस प्रकार इस दावा डिक्री किये जाने मे कोई
विधिक रूकावट नहीं पाते हैं तथा दावा डिक्री किया जाना उचित
समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर
विवादित आराजि ख.नं. 105 रकबा 0.3920 हैक्टेयर स्थित
ग्राम टीकटपुरा तहसील राजाखेड़ा का वादी शिवचरन एव
प्रतिवादी नेकराम को 1/2 भाग व 1/2 भाग संयुक्त रूप से
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड
मे उक्त आराजी पर दर्ज काशी पुत्र देविया के नाम को कलमजद
कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम के इन्द्राज दर्ज किये जाने
के आदेश दिये जाते। बरवास्त एव स्थायी निषेधाज्ञा के
अनुतोष की वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे इन्कार किया
है। अतः बरवास्त एव स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत
दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18-8-21 को मेरे द्वारा
लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेश कुमार मंगल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)